न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 50/21 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/136

उनवान

1. रामकटोरी पत्नी प्रेम सिंह उम्र 48 वर्ष, जाति मीणा निवासी ग्राम उमरेह तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. महाराज सिंह } पुत्र राम सिंह
2. फूल सिंह }
3. श्रीबाई बेवा राम सिंह
4. मनरूप } पुत्रगण राम सिंह } जाति मीणा नि0 ग्राम उमरेह तह0 बाडी जिला धौलपुर।
5. रामनिवास }
6. नारायण सिंह }
7. होतम सिंह }
8. मुन्नीबाई पत्नी देवी सिंह } पुत्री राम सिंह जाति मीणा नि0 ग्राम पान बाई का पुरा गुर्ज
9. रामस्वरूपी पत्नी बहादुर सिंह } तहसील सपोटरा जिला करौली।
10. भगवान सिंह } पुत्रगण देवचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम उमरेह तहसील बाडी।
11. बचन सिंह }
12. परसादी }
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडी जरिये प्रबंधक।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 24/21 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/106

उनवान

1. रामकटोरी पत्नी प्रेम सिंह उम्र 48 वर्ष, जाति मीणा निवासी ग्राम उमरेह तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. महाराज सिंह } पुत्र राम सिंह
2. फूल सिंह }
3. श्रीबाई बेवा राम सिंह
4. मनरूप } पुत्रगण राम सिंह } जाति मीणा नि0 ग्राम उमरेह तह0 बाडी जिला धौलपुर।
5. रामनिवास }
6. नारायण सिंह }
7. होतम सिंह }
8. मुन्नीबाई पत्नी देवी सिंह } पुत्री राम सिंह जाति मीणा नि0 ग्राम पान बाई का पुरा गुर्ज
9. रामस्वरूपी पत्नी बहादुर सिंह } तहसील सपोटरा जिला करौली।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

10. भगवान सिंह } पुत्रगण देवचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम उमरेह तहसील वाडी।
11. बचन सिंह }
12. परसादी }
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा वाडी जरिये प्रबंधक।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वाडी।

..... रैस्पोंडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.03.2008 (प्रारम्भिक डिक्री) एवं आदेश दिनांक 21.07.2008 (अन्तिम डिक्री) प्रकरण संख्या 70/2006 उनवान महाराज सिंह बनाम श्रीवाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वाडी।

अभिभाषकगण :–

1. श्री विनोद भार्गव एवं निशान्त भार्गव अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–29.03.2022

1. यह दोनों अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय दिनांक 21.03.2008 (प्रारम्भिक डिक्री) एवं दिनांक 21.07.2008 (अन्तिम डिक्री) के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। विवादित आराजी एवं पक्षकार समान होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपीलो में शामिल की जावें।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो संख्या 01 व 02 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी राम सिंह की खातेदारी की आराजी है। राम सिंह का देहान्त हो गया है। मुताबिक कानून वादीगण एवं प्रतिवादीगण 02 लगायत 5 हिस्सा बराबर के खातेदार कृषक हुये। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 6 व 7 का विवादित आराजीयात से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण एक राय होकर वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2008 से प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2008 से अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त दोनों निर्णयो प्राथनिक एवं अन्तिम से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा दो पृथक–पृथक अपीले इस न्यायालय में धारा 96 जा0दी0 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

3. अपीलाण्ट द्वारा यह दोनों अपीले प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में अपीलाण्ट का तर्क है कि विवादित आराजी, अपीलाण्ट ने रैस्पों0/प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 8 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.09.2006 से क्रय की है। परन्तु रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया। अतः अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
भरतपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-डीगपुर

विक्रय विलेख की तारीख से विवादित भूमि उनके कब्जे में है। अतः अपीलाण्ट व्यथित पक्षकार होते हैं तथा अपील हेतु अनुमति के हकदार हैं। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत दोनों अपील ग्रहण की गई।

4. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दिनांक 14.07.2021 को रैस्पो0 संख्या 01 व 02 स्वयं हाजिर अदालत आये। परन्तु बाद में अनुपस्थित रहे। शेष रैस्पो0 की तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी करायी गयी। परन्तु बावजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, वहस अपीलांट एक पक्षीय सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, वहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। रैस्पो0 03 लगायत 08 ने विवादित आराजीयात में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलांट को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 03.10.2006 को विक्रय कर दिया तथा वाद विक्रय अपीलांट के नाम राजस्व अभिलेख में आ गया एवं अपीलाण्ट क्रय शुदा आराजी पर काबिज काश्त है। परन्तु रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करा लिया। जबकि अपीलाण्ट प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था। अतः अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री काबिले खारिजी है। अन्तिम डिक्री बावत् उन्होनें तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायलय की आदेशिका दिनांक 21.06.2008 अनुसार तहसीलदार बाडी से कुर्रे प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं एवं दिनांक 21.07.2008 को प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की गयी है। जबकि कुर्रे प्रस्तावो पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 14.07.2008 अंकित है। जब दिनांक 14.07.2008 को कुर्रे प्रस्ताव बनाये गये हैं, तो दिनांक 21.06.2008 को कुर्रे, अधीनस्थ न्यायालय को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं। विभाजन प्रस्तावो पर मात्र पटवारी हल्का के हस्ताक्षर अंकित हैं। इसके अलावा उक्त विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकार की सहमति के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेश यथा प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री काबिले निरस्तनीय है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजी आरआरटी 2021(2) पेज 761, 1083, 1318, 2020(2) पेज 1118, 964, आरबीजे 2020 पेज 163, 133, 2018 पेज 42, 446, 372, 2019 पेज 436, 751, 123 का उद्धरण पेश करते हुये, प्रकरण पुनः अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये, विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपी0 के तर्को पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2008(प्रारम्भिक डिक्री) एवं 21.07.2008 (अन्तिम डिक्री) के विरूद्ध हस्तगत दोनों अपीले न्यायालय हाजा में दिनांक 16.09.2021 को प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में उनका तर्क है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 द्वारा पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। सर्वप्रथम दिनांक 10.07.2021 को जब रैस्पो0 ने अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी तब अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो पायी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-पौलपुर

तत्पश्चात् नकल वगै0 आदि लेकर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अतः अपीलाधीन आदेश की जानकारी ना होना स्वभाविक है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने इस बाबत् शपथ –पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वैसे भी विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने महत्वपूर्ण निर्णयो में यह अवधारित किया है यदि किसी प्रकरण में गुणावगुण का बिन्दु सशक्त हो तो ऐसे मामलो में न्यायालयों को उदारता का रूख अपनाते हुये न्यायहित में मियाद को क्षमा किया जाना चाहिए। अतः हम न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मिंयाद शुमार की जाती है।

7. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अपील पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र की प्रति दिनांक 03.10.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी रैस्पो0 मनरूप, रामनिवास, नारायन, होतम सिंह पुत्रगण राम सिंह व मुन्नी पुत्र श्री रामसिंह व श्रीवाई वेवा श्री राम सिंह से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है एवं जमाबन्दी संवत 2070–73 में विवादित आराजी पर अपीलाण्ट रामकटोरी 6/7 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। परन्तु रैस्पो0 ने उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जाकर उनकी बैक पर प्राथमिक डिक्री पारित करा ली एवं अधीनस्थ न्यायायल ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित कर दी। जबकि अपीलाण्ट प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे। चूंकि अपीलाण्ट विवादित आराजी के सद्भावी क्रेतागण हैं एवं उनके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी के भी अंकन हैं। लिहाजा हम अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का मौका दिया जाना न्यायोचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलांट विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री, आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

8. जहॉ तक अन्तिम डिक्री का प्रश्न है। उपरोक्त विवेचनानुसार चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री न्यायोचित नहीं पायी गयी है। अतः अन्तिम डिक्री स्वतः ही निरस्त योग्य रहती है। फिर भी हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्तावो का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्तावो के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्तावो पर मात्र पटवारी हल्का के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। जबकि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार को बनाना आज्ञापक है। इसके अलावा उक्त विभाजन प्रस्तावो पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.07.2008 अंकित कर रखी है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.06.2008 में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने का उल्लेख है। जब दिनांक 14.07.2008 को कुर्रे प्रस्ताव बनाये गये हैं, तो दिनांक 21.06.2008 को कुर्रे, अधीनस्थ न्यायालय को कैसे प्राप्त हो सकते हैं; विचारणीय है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट विरूद्ध अन्तिम डिक्री भी आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2008 (प्रारम्भिक डिक्री) एवं आदेश दिनांक 21.07.2008 (अन्तिम डिक्री) अपास्त किये जाकर, प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करें एवं तहसीलदार स्वयं, पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन के नियम 18

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

से 21 की पालना करते हुये, विभाजन प्रस्ताव तैयार करें, तत्पश्चात् प्रकरण में विधि अनुरूप अन्तिम निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफतर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.03.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर